न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0) 67

प्र0क्र. /2011 रिव्यू (पुनरावलोकन) निग 1554-III/2011

नाथूराम यादव

रमेश यादव

राजाराम यादव

पुत्रगण हल्के यादव निवासी ग्राम पहाडी

तिलवारन तह व जिला टीकमगढ म0प्र0

—— आवेदकगण

श्री आई. पी. द्विवेदी अभि०
द्वारा आज दि. 29-9-11 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट,
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

श्यामलाल

गोविन्द दास

कुंजा,

गोरेलाल

दिलीप

पुत्रगण रम्पा काछी निवासी नयनवारा

तहसील व जिला टीकमगढ

आई.पी. द्विवेदी
एडवोकेट
29-9-11

—— अनावेदकगण

<u>पुनरावलोकन (रिव्यू) आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.05.2011 पारित द्वारा श्री विनोद कुमार सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्रकरण कमांक 1210–दो/08 व उनवान नाथूराम यादव आदि बनाम श्यामलाल आदि</u>

माननीय महोदय,य

आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

<u>प्रकरण के संक्षप्ति तथ्य :—</u>

(1) यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 41, 42, 43, 44, रकवा 3.26 हैक्टर भूमि का वटवारा हेतु अन्तर्गत धारा 178 का आवेदन अनावेदकगण श्यामलाल गोविन्दा, कुंजा, गोरेलाल , दिलीपा तनय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1554–तीन/11 **जिला –टीकमगढ**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
6.7.16	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1210–दो/2008 में पारित आदेश दिनांक 23.5.11 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1554–तीन/11 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1210–दो/2008 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 23.5.11 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 1554–तीन/11 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य